उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

इंस्टीट्यूटशन ऑफ इंजीनियर्स (इ0),प्रथम तल, नियर आई0एस0बी0टी0, माजरा, देहरादून

अधिसूचना

मार्च 11, 2008

सं0 एफ–9(20)/आरजी/यूईआरसी/2008/1195–विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 62 व 86 के साथ पठित धारा 181 के अधीन न्यस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस निमित्त सभी शक्तियों से सक्षम हो कर, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, उत्पादक कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी हेतु शुल्क के सहीकरण के लिये निबंधन एवं शर्तें विनिर्दिष्ट करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :–

अध्याय 1 : प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा निर्वचन :**

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (शुल्क के सहीकरण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2008 होगा।

(2) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

(3) इन विनियमों का विस्तार समस्त उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

2. **परिभाषाएं एवं व्याख्या :**

(1) इन विनियमों में, तब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(ए) ‘अधिनियम’ से, इसमें संशोधनों सहित, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है।

---

[1]यह विनियम अंग्रेजी विनियम *दिनांक. 12.01.2008.का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।*

(बी) वित्त वर्ष से, कैलेंडर वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारंभ हो कर अगले कैलेंडर वर्ष की 31 मार्च को समाप्त अवधि अभिप्रेत है।

(2) इन विनियमों में उपयोग किये गय शब्द व अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं किये गये हैं, किंतु जो अधिनियम या यूईआरसी (जल विद्युत उत्पादन शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004 या यूईआरसी(पारेषण शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004 या यूईआरसी(वितरण शुल्क अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004 तथा अन्य शुल्क विनियमों में परिभाषित किये गये हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम या उक्त विनियमों में दिया गया है।

अध्याय 2 : सहीकरण हेतु सामान्य निबंधन एवं शर्तें

3. सहीकरण हेतु कार्यवाही का प्रारंभ :

(1) आयोग, संबंधित अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादन कंपनी की याचिका पर या स्वतः प्रेरणा से एक वित्तीय वर्ष हेतु सुसंगत शुल्क आदेश में अनुमोदित स्तरों की तुलना में उस वित्तीय वर्ष में व्ययों, राजस्वों व परिचालक मानदण्डों के वास्तविक स्तरों की समीक्षा करेगा। ऐसा करते समय, आयोग, इन परिवर्तनों के कारणों पर विचार करने के पश्चात, अगले वर्ष (र्षों) के लिये आयोग द्वारा अनुमोदित विस्तार तक इसके वित्तीय प्रभाव को आगे ले जाने की अनुमति दे सकता है। यह कार्यवाही सहीकरण की कार्यवाही कहलायेगी।

(2) एक वित्तीय वर्ष के लिये सहीकरण की कार्यवाही, सामान्यतः इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात की गई शुल्क अवधारण–कार्यवाही के साथ की जायेगी।

(3) स्हीकरण, अस्थायी या लेखा परीक्षित डाटा के आधार पर किया जा सकता है। तथा आयोग द्वारा जैसा आवश्यक समझा जाये, अलग से एक या अधिक मदों के लिये किया जा सकता है। लेखा परीक्षित डाटा के आधार पर की गई सहीकरण की कार्यवाही के पश्चात सामान्यतः कोई सहीकरण नहीं किया जायेगा।

4. <u>सहीकरण की प्रक्रिया :</u>

(1) उत्पादन कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी अपने सभी भविष्य के शुल्क प्रस्तावों के साथ नियन्त्रण अयोग्य मदों में परिवर्तनों के कारण लाभ/हानियों में 'पास थ्रू' हेतु प्रस्ताव फाईल करेगा। उत्पादक कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी, इन शुल्क प्रस्तावों के साथ आयोग की संवीक्षा हेतु इन विनियमों के अनुरूप सहीकरण हेतु दावे, यदि कोई है, के साथ नियंत्रण योग्य मदों में परिवर्तन का विवरण भी फाईल करेगा।

(2) नियंत्रण अयोग्य मदों के कारण परिवर्तनों का सहीकरण वास्तविक/लेखा परीक्षित सूचना तथा आयोग द्वारा जांच के आधार पर किया जायेगा।

किंतु, सहीकरण की कार्यवाही के कारण शुल्क पर किसी प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव के दावे केवल तभी स्वीकार किये जायेंगे, यदि अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादक कंपनी आयोग की संतुष्टि हेतु अपने दावे स्थापित करने के लिये समर्थक दस्तावेजों के साथ पर्याप्त कारण प्रदान करेंगे।

(3) आयोग द्वारा स्वीकार किये गये परिवर्तन (अंतर/अधिशेष) को सामान्यतः आगे ले जाने की अनुमति होगी तथा अगली शुल्क अवधारण कार्यवाही के साथ इस पर विचार किया जायेगा, तथापि, यदि आयोग आवश्यक समझे तो सहीकरण वर्ष की अवधि के उपभोग हेतु उपभोक्ता के बिलों में समायोजन हेतु आदेश दे सकता है।

किंतु, यदि ऐसा अंतर बड़ा है तथा केवल एक वर्ष में उसकी वसूली/पास थ्रू साध्य नहीं है तो आयोग जैसा उपयुक्त समझे उस के अनुसार भविष्य के शुल्क वर्षों में परिशोधित की जाने वाली नियामक सम्पत्ति (राष्ट्रीय शुल्क नीति के खंड 8.2.2 में उपबंधित दिशा–निर्देश के अनुसार) सृजित करने का दृष्टिकोण रख सकता है।

साथ ही, नियन्त्रण योग्य मदों के लिये लक्ष्यों की अति प्राप्ति के कारण कोई अधिशेष/प्राप्ति/बचत को 50:50 के अनुपात में अनुज्ञप्तिधारी व उपभोक्ता के मध्य बांटा जायेगा।

साथ ही यह भी कि सुसंगत शुल्क विनियमों में निर्धारित किसी परिचालक मानक के कारण कोई प्रोत्साहन/दंड या बचत/हानि अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादक कंपनी के खाते में ही होगी तथा उसे उपभोक्ता के साथ नहीं बांटा जायेगा।

(4) आयोग, ऐसे परिवर्तनों की लागत आगे ले जाने की अनुमति दे सकता है जो कामकाज पूंजी के उधार हेतु स्वीकृत ब्याज दर तक सीमित हों।

अध्याय 3 : सहीकरण हेतु सिद्धांत

5. नियन्त्रण योग्य व नियन्त्रण अयोग्य मदें :

(1) सहीकरण के उद्देश्यों हेतु, भौतिक व वित्तीय निष्पादन की विभिन्न मदों को, उचित नियन्त्रण के साथ इन मदों को प्रबंधित करने की अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादक कंपनी की योग्यता पर निर्भर करते हुए "नियन्त्रण योग्य" व "नियन्त्रण अयोग्य" में श्रेणीबद्ध किया जायेगा।

(2) आयोग, "नियन्त्रण योग्य" समझे जाने वाली मदों या मानदण्ड डाटा हेतु लक्ष्य निर्धारित करेगा तथा इसमें निम्नलिखित का समावेश होगा :-

(ए) उत्पादक कंपनी के लिये –

(i) सकल स्टेशन ताप दर (तापीय)

(ii) उपलब्धता (तापीय)

(iii) सहायक उर्जा उपभोग

(iv) परिवर्तन हानि

(v) गौण ईंधन तेल उपभोग (तापीय)

(vi) परिचालन व अनुरक्षण व्यय

(vii) संयंत्र भार कारक (एक्स बस उत्पादन)

(viii) क्षमता सूचकांक (जल विद्युत)

(ix) ऋण इक्विटी अनुपात

(x) कामकाज पूंजी पर ब्याज

(बी) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिये –

(i) पारेषण प्रणाली की उपलब्धता

(ii) परिचालन व अनुरक्षण व्यय

(iii) उप स्टेशनों में सहायक उपभोग

(iv) ऋण–इक्विटी अनुपात

(v) कामकाज पूंजी पर ब्याज

(सी) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिये –

(i) वितरण हानि

(ii) संकलन हानि

(iii) परिचालन व अनुरक्षण व्यय

(iv) ऋण इक्विटी अनुपात

(v) कामकाज पूंजी पर ब्याज

(vi) आपूर्ति गुणवत्ता संबंधित निष्पादन मानदण्ड

(3) निम्नलिखित मानदण्डों को नियन्त्रण अयोग्य माना जायेगा :–

(ए) उत्पादक कंपनी के लिये –

(i) आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिये पूंजीगत व्यय

(ii) निर्धारित ऋण इक्विटी मानक तथा अनुमोदित वित्तीय पैकेज के अधीन, अनुमोदित अतिरिक्त पूंजीकरण के लिये पूंजी संरचना

(iii) अनुमोदित पूंजीकरण पर अवक्षय

(iv) अनुमोदित वित्तीय पैकेज के अनुसार ऋणों पर ब्याज

(v) विदेशी विनिमय दर परिवर्तन

(vi) आय कर (नियमित कारोबार से उत्पन्न विस्तार तक)

(vii) इक्विटी पर वापसी

(viii) गैर शुल्क आय

(बी) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिये –

(i) आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिये पूंजीगत व्यय
(ii) निर्धारित ऋण–इक्विटी मानक व अनुमोदित वित्तीय पैकेज के अधीन, अनुमोदित अतिरिक्त पूंजीकरण के लिये पूंजी–संरचना
(iii) अनुमोदित पूंजीकरण पर अवक्षय
(iv) अनुमोदित वित्तीय पैकेज के अनुसार ऋण पर ब्याज
(v) विदेशी विनिमय दर परिवर्तन
(vi) आय कर (नियमित कारोबार से उत्पन्न विस्तार तक)
(vii) इक्विटी पर वापसी
(viii) गैर शुल्क आय

(सी) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिये –

(i) आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिये पूंजीगत व्यय
(ii) निर्धारित ऋण इक्विटी मानक व अनुमोदित वित्तीय पैकेज के अधीन, अनुमोदित अतिरिक्त पूंजीकरण के लिये पूंजी–संरचना
(iii) अनुमोदित पूंजीकरण पर अवक्षय
(iv) अनुमोदित वित्तीय पैकेज के अनुसार ऋण पर ब्याज
(v) विदेशी विनिमय दर परिवर्तन
(vi) आय कर (नियमित कारोबार से उत्पन्न विस्तार तक)
(vii) इक्विटी पर वापसी
(viii) गैर शुल्क आय

(डी) खुदरा आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी के लिये –

(i) उर्जा क्रय मात्रा एवं लागत (यू आई ओवर ड्रावल सहित)
(ii) यू आई अंडर ड्रावल्स

(iii) अनुमोदित शुल्क पर विक्रय मिश्रण व राजस्व

(iv) आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिये पूंजीगत व्यय

(v) निर्धारित ऋण इक्विटी मानक व अनुमोदित वित्तीय पैकेज के अधीन, अनुमोदित अतिरिक्त पूंजीकरण हेतु पूंजी–संरचना

(vi) अनुमोदित पूंजीकरण पर अवक्षय

(vii) अनुमोदित वित्तीय पैकेज के अनुसार ऋण पर ब्याज

(viii) विदेशी विनिमय दर परिवर्तन

(ix) आय कर (नियमित कारोबार से उत्पन्न विस्तार तक)

(x) इक्विटी पर वापसी

(xi) गैर शुल्क आय

6. <u>नियन्त्रण योग्य व नियन्त्रण अयोग्य मदों का व्यवहार :</u>

(1) ऊपर विनिर्दिष्ट नियन्त्रण अयोग्य मदों/मानदण्डों में परिवर्तन के कारण किसी वित्तीय हानि की वसूली के लिये उत्पादक कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी हकदार होंगे। इसी प्रकार, सहीकरण के दौरान इन मानदण्डों में परिवर्तन के कारण वित्तीय प्राप्तियों को आयोग समायोजित कर सकता है :

किंतु, उत्पादक कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी या इसके आपूर्तिकर्ताओं ठेकेदारों की गलती के कारण नियन्त्रण आयोग्य मदों में परिवर्तन हेतु किसी प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव को सहीकरण में अनुमत नहीं किया जायेगा।

(2) ऊपर विनिर्दिष्ट नियन्त्रण योग्य मदों/मानदण्डों के लिये लक्ष्यों से न्यून निष्पादन के कारण किसी वित्तीय हानि की वसूली के लिये उत्पादक कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी हकदार नहीं होंगे। बशर्ते कि, नियन्त्रण योग्य मदों में परिवर्तन, उत्पादक कंपनी के नियन्त्रण से बाहर के कारणों से है, जैसे कि अपरिहार्य घटना, विधि में परिवर्तन, किसी न्यायालय में अधिनिर्णय या डिक्री के कारण या वार्षिक स्वतः वृद्धि की वास्तविक दर के कारण या ऋण को अनुमोदित शर्तों के अनुसार ब्याज की दर अनुमोदित स्तरों से भिन्न होने पर। तथापि, किसी न्यायिक/न्यायिक कल्प निकाय के निर्देशों के अधीन उत्पादक कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा

भुगतान किये गये किसी दण्ड या क्षतिपूर्ति या जुर्माने को सामान्यतः सहीकरण में पास थ्रू के लिये विचारित नहीं किया जायेगा, जब तक कि अन्यथा उपबंधित न किया गया हो।

(3) नियन्त्रण योग्य मदों के लिये निर्धारित किये गये लक्ष्यों के संबंध में अति निष्पादन के कारण किसी वित्तीय प्राप्ति को उत्पादक कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखने की अनुमति होगी तथा इसे शुल्क में समायोजित नहीं किया जायेगा।

(4) आयोग के आदेशों/विनियमों में विनिर्दिष्ट किसी प्रोत्साहन या दण्ड/निरूत्साहन तंत्र के कारण किसी वित्तीय हानि या लाभ को सहीकरण के दौरान शुल्क में समायोजित नहीं किया जायेगा।

(5) आयोग, अतिरिक्त पूंजीकरण, आपूर्ति की गुणवत्ता तथा ग्राहक सेवा मानदण्डों के लिये निर्धारित निष्पादन लक्ष्यों की न्यून प्राप्ति/अति प्राप्ति के लिये उपयुक्त समायोजन करने के लिये हकदार होगा।

7. <u>आकस्मिकता आरक्षिति :</u>

(1) नियन्त्रण योग्य मदों में लाभों का उपभोक्ता के भाग को आकस्मिकता आरक्षिति/नियामक दायित्व के रूप में समझा व अन्तरण किया गया समझा जायेगा जिसे यदि आयोग द्वाराउचित समझा गया तो उपभोक्ता शुल्कों में स्थिरता बनाये रखने के लिये उपयोग में लाया जायेगा।

(2) आकस्मिकता आरक्षिति को एक अलग खाते में रखा जायेगा तथा वापसी अर्जित करने के लिये प्रभावी रूप से निवेशित व प्रबंधित किया जायेगा जिसे पर्याप्त तरलता सुनिश्चित कर बाजार की परिस्थितियों के आधार पर आरक्षिति में जमा किया जायेगा।

(3) इस आरक्षिति का सट्टे के उद्देश्य से उपयोग नहीं किया जायेगा।

(4) अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादक कपनी के निष्पादन के आधार पर आयोग के निदेशानुसार आकस्मिकता आरक्षिति लेखे में/से वार्षिक परिवर्धन/निकासी की जायेगी।

(5) इस आरक्षिति का किसी अन्य प्रकार से उपयोग केवल आयोग के पूर्व अनुमोदन से ही किया जायेगा।

(6) अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादक कंपनी आकस्मिकता आरक्षिति के लिये एक अलग खाता रखेगा तथा तुलन पत्र में आकस्मिकता आरक्षिति लेखे में शेष को प्रदर्शित करेगा।

(7) आयोग, अपवादी परिस्थितियों में अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादक कंपनी को वहन लागत के साथ या इसके बिना अधिशेष/बचत को चुका देने की अनुमति दे सकता है, यदि आयोग द्वारा उचित समझे गये अनुसार, दक्षता लाभों के माध्यम से भविष्य के वर्षों में यह रोकड़ रूप में उपलब्ध नहीं है।

<u>अध्याय 4 : शुल्क के विभिन्न अवयवों का सहीकरण</u>

8. <u>वितरण तथा खुदरा आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी हेतु विक्रय व ऊर्जा क्रय का सहीकरण :</u>

(1) राज्य के उपभोग के कारण उस वित्तीय वर्ष हेतु अनुमोदित स्तर की तुलना में वास्तविक ऊर्जा क्रय मात्रा एवं लागत (यू आई ओवर ड्रावल सहित) में परिवर्तन, योग्यता क्रय का सिद्धांत अपना कर सहीकरण के दौरान पास थ्रू के लिये अनुमत किया जायेगा :

किंतु योग्यता क्रम में क्रय न किये गये (योग्यता क्रम क्रय से छूट प्राप्त के अतिरिक्त) या आयोग की पूर्वानुमति के बिना हुई (आयोग की दिशा निर्देश, यदि कोई हैं के अनुसार यू आई ओवर ड्रावल्स तथा लघु अवधि क्रयों के अतिरिक्त) ऊर्जा क्रय लागतों को अनुमत न करने के लिये आयोग हकदार होगा।

(2) यदि, वास्तविक वितरण हानि स्तर लक्ष्य से निम्न/उच्च है तो वास्तविक ऊर्जा क्रय तथा संबंधित लागत ऊपर (1) में विनिर्दिष्ट किये अनुसार शर्तों के अधीन मानी जायेगी। लक्ष्य विक्रय, आयोग द्वारा स्वीकृत वास्तविक ऊर्जा क्रय पर पारेषण हानि तथा लक्ष्य वितरण को लागू कर निकाला जायेगा तथा लक्ष्य से अधिक/कम, अतिरिक्त/कम क्रय वास्तविक विक्रय से लक्ष्य विक्रय को घटाकर निकाला जायेगा। लक्ष्य अधि प्राप्ति/निम्न प्राप्ति में वित्तीय लाभ/(हानि) निर्धारित करने के लिये वित्तीय रूप से अतिरिक्त विक्रय के मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु वास्तविक विक्रय हेतु बिलिंग की औसत दर, विक्रय मिश्रण को नियन्त्रण आयोग्य कारक मानते हुए ली जायेगी।

(3) बिलिंग की औसत दर ज्ञात करने के लिये अनुमोदित शुल्कों पर वास्तविक राजस्व विचारित किया जायेगा। तथापि, आयोग राजस्व में उपयुक्त शोधन करने का हकदार होगा यदि ये अनुमोदित शुल्क के अनुसार न हों।

9. <u>शुल्क के अन्य अवयवों का सही करण :</u>

(1) अतिरिक्त पूंजीकरण, इसके वित्त पोषण तथा उस पर अवक्षय का सहीकरण सुसंगत अधिनियमों के अनुसार किया जायेगा।

(2) परियोजना के अनुमोदित वित्तीय पैकेज के अनुसार ब्याज दरों के परिवर्तन को पास थ्रू के लिये अनुमति दी जायेगी। अनुसूचित चुकौती में सामान्यतः/किसी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जायेगा। मूल या ब्याज के भुगतान में चूक पर ब्याज सामान्यतः विचारित नहीं किया जायेगा।

(3) संबंधित विषय पर भिन्न विनियमों के आधार पर निर्धारित किये जाने वाली वास्तविक स्वतः वृद्धि दर के कारण ओ एंड एम व्ययों में परिवर्तन, शुल्क आदेश में अनुमोदित से भिन्न होने पर पास थ्रू के रूप में माना जायेगा।

किंतु, यदि परिवर्तन अनुमोदित स्तर के 10% के भीतर है तो कोई समायोजन करना आवश्यक नहीं होगा।

(4) सरकारी वेतन संरचना के अनुसार सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों में सरकारी आदेश के कारण मजदूरी संशोधन के कारण ओ एंड एम व्ययों में किसी परिवर्तन की अनुमति आयोग द्वारा दी जा सकती है बशर्ते कि दावा पर्याप्त कारणों व समर्थन दस्तावेजों से सिद्ध किया गया हो।

(5) गैर शुल्क राजस्व सामान्यतः वास्तविक दर पर लिये जायेंगे तब तक कि इन्हें आयोग के निर्देश/विनियमों के अनुसार आशोधित करने की आवश्यकता न हो।

अध्याय 5 : प्रकीर्ण

10. **व्यावृत्तियाँ :**

(1) न्याय का उद्देश्य प्राप्त करने के लिये आवश्यक आदेश निर्मित करने हेतु, इन विनियमों में कुछ भी आयोग की शक्तियों को प्रभावित या सीमित करने वाला नहीं समझा जायेगा।

(2) इन विनियमों में कुछ भी, अधिनियम में उपबंधों के अनुरूप आयोग को ऐसी प्रक्रिया अपनाने में बाधक नहीं होगा जो कि इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों से भिन्न हो, यदि आयोग मामले या मामलों की श्रेणी की विशेष परिस्थिति को देखते हुए ऐसे मामले या मामलों की श्रेणी के निर्णय हेतु इसे उचित व समीचीन समझता है।

(3) जिस के लिये कोई विनियम नहीं बनाये गये हैं, ऐसे किसी मामले में या अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का निर्वाह करने में कार्यवाही करने पर इन विनियमों में कुछ भी अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से आयोग के लिये बाधक नहीं होगा तथा ऐसे मामलों में आयोग जैसा उचित व सही समझे उस प्रकार से इन मामलों, शक्तियों व कर्तव्यों का निर्वाह करेगा।

11. **कठिनाईयाँ दूर करने की शक्तियाँ :**

यदि इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसे निर्देश दे सकता है जो कठिनाई दूर करने के उद्देश्य से आयोग को आवश्यक प्रतीत हों तथा अधिनियम से असंगत न हों।

12. **संशोधन की शक्ति :**

आयोग किसी भी समय इन विनियमों के किसी उपबंध में परिवर्धन, परिवर्तन, उपान्तरण या संशोधन कर सकता है।

आयोग के आदेश से

पंकज प्रकाश
सचिव
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग